



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 29092021-230046
CG-DL-E-29092021-230046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3689]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943

No. 3689]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

का.आ. 4023(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 6 से कि.मी. 26.35 (दस ऑफिस जम्मू) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 6 से कि.मी. 26.35 (दस ऑफिस जम्मू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भलवल					
गांव का नाम: मालपुर					
1	383	सरकारी	गैर कृषि भूमि	3.3437000(हेक्टेयर)	3.3437000
2	594	सरकारी	गैर कृषि भूमि	1.5605700(हेक्टेयर)	1.5605700
3	595	सरकारी	गैर कृषि भूमि	2.7822000(हेक्टेयर)	2.7822000
4	596	सरकारी	गैर कृषि भूमि	1.3152000(हेक्टेयर)	1.3152000
5	628	निजी	कृषि भूमि	0.0354101(हेक्टेयर)	0.0354101
6	629	निजी	कृषि भूमि	0.1542870(हेक्टेयर)	0.1542870
7	630	निजी	कृषि भूमि	0.0379300(हेक्टेयर)	0.0379300
8	631	निजी	कृषि भूमि	0.3237490(हेक्टेयर)	0.3237490
9	632	निजी	कृषि भूमि	0.1416400(हेक्टेयर)	0.1416400
10	633	निजी	कृषि भूमि	0.0455272(हेक्टेयर)	0.0455272
11	948	निजी	सड़क	0.0505858(हेक्टेयर)	0.0505858
12	951	निजी	कृषि भूमि	0.0278222(हेक्टेयर)	0.0278222
13	952	निजी	कृषि भूमि	0.1644040(हेक्टेयर)	0.1644040
14	953	निजी	कृषि भूमि	0.1391110(हेक्टेयर)	0.1391110
15	954	निजी	एग्रीकल्चरल लैंड	0.0429979(हेक्टेयर)	0.0429979
16	955	सरकारी	गैर कृषि भूमि	0.0480565(हेक्टेयर)	0.0480565
17	956	निजी	एग्रीकल्चरल लैंड	0.0328808(हेक्टेयर)	0.0328808
18	957	निजी	कृषि भूमि	0.3338660(हेक्टेयर)	0.3338660

19	958	निजी	कृषि भूमि	0.0101172(हेक्टेयर)	0.0101172
कुल				10.5901	10.5901

[फा. सं. NHIDCI/PMU-AKH/Jammu-Akhnoor/LA/PKG-III/2020-21/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2021

S.O. 4023(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 144A in the stretch of land from Km 6 to Km 26.35 (DC Office Jammu) in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Jammu in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 144A in the stretch of land from Km 6 to Km 26.35 (DC Office Jammu) in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhalwal					
Village: Malpur					
1	383	Government	Non Agricultural Land	3.3437000(Hectare)	3.3437000

2	594	Government	Non Agriculture land	1.5605700(Hectare)	1.5605700
3	595	Government	Non Agricultural Land	2.7822000(Hectare)	2.7822000
4	596	Government	Non Agricultural land	1.3152000(Hectare)	1.3152000
5	628	Private	Agriculture land	0.0354101(Hectare)	0.0354101
6	629	Private	Agriculture land	0.1542870(Hectare)	0.1542870
7	630	Private	Agriculture land	0.0379300(Hectare)	0.0379300
8	631	Private	Agriculture land	0.3237490(Hectare)	0.3237490
9	632	Private	Agriculture land	0.1416400(Hectare)	0.1416400
10	633	Private	Agriculture land	0.0455272(Hectare)	0.0455272
11	948	Private	Road	0.0505858(Hectare)	0.0505858
12	951	Private	Agriculture land	0.0278222(Hectare)	0.0278222
13	952	Private	Agriculture land	0.1644040(Hectare)	0.1644040
14	953	Private	Agriculture land	0.1391110(Hectare)	0.1391110
15	954	Private	Agricultural land	0.0429979(Hectare)	0.0429979
16	955	Government	Non Agriculture land	0.0480565(Hectare)	0.0480565
17	956	Private	Agricultural land	0.0328808(Hectare)	0.0328808
18	957	Private	Agriculture land	0.3338660(Hectare)	0.3338660
19	958	Private	Agriculture land	0.0101172(Hectare)	0.0101172
Total				10.5901	10.5901

[F. No. NHIDCI/PMU-AKH/Jammu-Akhnoor/LA/PKG-III/2020-21/3A]

RAJESH GUPTA, Director